

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 215/2021

उनवान

श्रीमती मणी देवी पत्नि जोधराज लबाना निवासी मोटाटाण्डा हाल नडियाबडा तहसील गढ़ी।

—: प्रार्थीया

बनाम

(1) नरेन्द्र कुमार पिता शांतिलाल जैन निवासी कोटडा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
निर्णय

दिनांक: 01.06.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1043, 1044 गांव नडियादा बडा मे स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीया की काश्त होकर वर्षों से प्रार्थीया उसमें काश्त करती आ रही है। उक्त काश्त की भूमि मे आने जाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कच्ची सडक ग्रेवल डालकर बनाई हुई है। जिसमें वर्षों से आना जाना कर रहे है। उक्त सडक प्रार्थीया की भूमि से पहले आराजी नम्बर 977 एवं 978 के पास से होकर आ रही है तथा 977 एवं 978 के दक्षिण तरफ नक्षा ट्रेस में दर्शाई हुई है लेकिन 977 के आगे नक्षा ट्रेस में दर्शाई हुई नही होने से अप्रार्थी नम्बर 01 ने उक्त सडक को बन्द कर सडक खोदकर भूमि अपने खेत में मिला ली है। जिस वजह से प्रार्थीया का अपने खेतो मे आना जाना अवरुद्ध हो गया है और उसके बेलगाडी, ट्रैक्टर तथा मवेशियों का खेतो में आना जाना बंद हो गया है। रास्ते की भूमि दर्ज कराने हेतु धारा 251-ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर दौराने कार्यवाही प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 ने हमराह अभिभाषक के उपस्थित होकर प्रकरण में प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत होकर अप्रार्थी संया 01 ने अपनी खातेदारी भूमि के सर्वे नम्बर 977 रकबा 0.96 हे0 मे से 200 फीट लम्बाई एवं 20 फीट चौड़ाई के रास्ते हेतु दी जाने वाली भूमि के समर्पण किया जाने का कथन किया।

अतः प्रकरण में प्रक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत राजीनाम अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 के आदेशित किया जाता हैं कि भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी के कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार भूमि समर्पण कराना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को सुनाया गया।

(हनुमान सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी

गढ़ी

